2009 का विधेयक सं. 18

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

http://rajassembly.nic.in

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

<u>2009 का विधेयक सं. 18</u>

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 में नयी धारा 65ख का जोड़ा जाना.–राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23),की विद्यमान धारा 65क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 65ख जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''**65ख. फीस का प्रतिदाय.**–जहां न्यायालय किसी वाद के पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 89 में निर्दिष्ट विवाद के निपटारे की रीतियों में से किसी रीति के प्रति निर्देश दे और वह मामला सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अधीन उपबंधित रीतियों में से किसी रीति से निपट जाये तो वादी, न्यायालय से ऐसे वादपत्र के सम्बन्ध में संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।''।

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

रिट याचिका (सिविल) सं. 496/2002 सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2 अगस्त, 2005 में निम्नानुसार संप्रेक्षित किया है :–

"67.न्यायालय फीस के प्रतिदाय के संबंध में जहां मामला अधिनियम की धारा 89 में उपबंधित रीतियों में से किसी एक के प्रति निर्देश द्वारा निपटाया जाता है तो संहिता के 1999 के संशोधन द्वारा केन्द्रीय न्यायालय फीस अधिनियम में किये गये संशोधन की तर्ज पर विधियों में संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है । राज्य सरकार, राज्य न्यायालय फीस विधान में समरूप संशोधन करने के बारे में विचार कर सकती है।" (निर्णय का पैरा 67)

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन और लोकहित में भी राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) में एक नयी धारा 65ख जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है ।

अतः विधेयक प्रस्तुत है ।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

....

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

....

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

....

एच.आर. कुड़ी,
सचिव।

(शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 18 of 2009

THE RAJASTHAN MUNICIPALITES BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

http://rajassembly.nic.in

<u>Bill No. 18 of 2009</u>

THE RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION (AMENDMENT) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

further to amend the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act,1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows **-**

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. Addition of new section 65B in Rajasthan Act No. 23 of 1961.-After the existing section 65A of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Act. No. 23 of 1961), the following new section 65B shall be added, namely:**-**

"**65B. Refund of Fee.-** Where the Court refer the parties to a suit to any one of the mode of settlement of dispute referred to in section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) and the matter is settled by one of the modes provides under section 89 of the Code of Civil Procedure, the plaintiff shall be entitled to a certificate from the Court authorising him to receive back from the Collector, the full amount of the fee paid in respect of such plaint.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the matter of Writ Petition (Civil) No. 496/200 in Salem Advocate Bar Association Tamilnadu V/s Union of India Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 2nd August, 2005 observed as under :-

"67.Regarding refund of the court fee where the matter is settled by the reference to one of the modes provided in section 89 of the Act it is for the State Government to amend the laws on the lines of amendment made in Central Court Fee Act by 1999 Amendment of the Code. The State Government can consider making similar amendments in the State Court Fee legislation." (Para 67 of the Judgment)

To comply with the judgment of Hon'ble Supreme Court and also public interest a new section 65B has been proposed to be added in the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Act No. 23 of 1961).

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

Further to amend the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H.R. KURI,
Secretary.

(SHANTI DHARIWAL, **Minister- Incharge**)

http://rajassembly.nic.in